डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-14, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

22 अक्टूबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 16, निःशुल्क

नेशनल हाईवे 130-डी अबूझमाड़ की गलियों को महाराष्ट्र तक मुख्यधारा से जोड़ेगा

बस्तर अंचल के दुर्गम अबूझमाड़ इलाके में विकास की नई रोशनी पहुँचने जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने नारायणपुर जिले के कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर 152 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा न्यूनतम टेंडर दर पर ठेकेदार का चयन कर अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जीवनमार्ग

- एनएच-130डी, एनएच-30 का रूट
- कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर, 122 किमी हिस्सा छत्तीसगढ़ में।
- मार्ग – कोण्डागांव नारायणपुर कुतुल नीलांगुर आलापल्ली (महाराष्ट्र)
- कोण्डागांव से नारायणपुर तक 50 किमी का कार्य निर्माणाधीन।
- कुतुल से नीलांगुर तक 21.5 किमी के खंड के निर्माण से पूरा नेटवर्क जुड़ जाएगा।

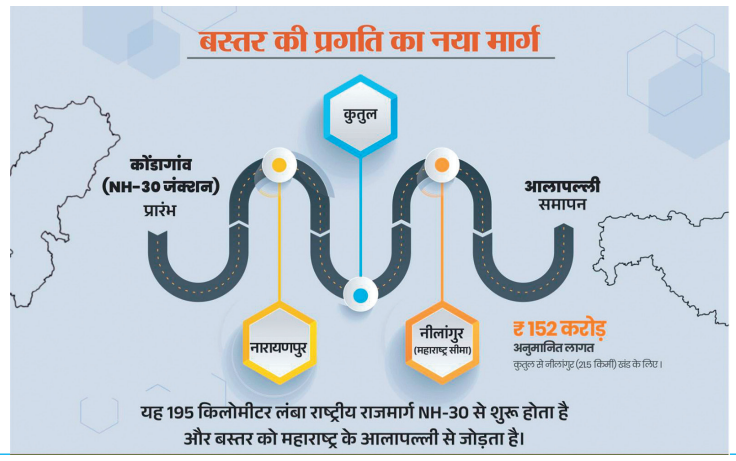

विकास की नई किरण

"राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं, बल्कि बस्तर अंचल के भविष्य का मार्ग है। अबूझमाड़ में सड़क निर्माण से वहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना बस्तर को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी।"

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

सीएम ने कलेक्टर्स, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती
'जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की जवाबदेही को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से जनता तक पहुँचना ही सुशासन है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस

सूर्यघर योजना
- कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे, सतत समीक्षा की जाएगी।
- बस्तर और सरगुजा संभाग में योजना की प्रगति पर नजर।
- "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" का अधिकतम परिवारों तक लाभ सुनिश्चित।

स्वास्थ्य और मलेरिया उन्मूलन
- अस्पतालों में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित।
- मातृ मृत्यु मामले में अनिवार्य ऑडिट।
- बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष अभियान।

शिक्षा सुधार
- बीजापुर जिले में गोंडी भाषा में शिक्षण की सराहना।
- स्कूलों की ग्रेडिंग, सामाजिक अंकेक्षण और उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन।

कलेक्टर्स–एसपी कॉन्फ्रेंस

कानून-व्यवस्था
- कलेक्टर और एसपी का मजबूत समन्वय सुशासन की कुंजी।
- गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस।
- गौ-तस्करी, धर्मांतरण और संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी।
- मॉडल जिलों के परिणामों को अन्य जिलों में लागू करने के निर्देश।

मादक पदार्थ नियंत्रण
- राज्यव्यापी अभियान, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई।
- सीमावर्ती जिलों में सघन जांच और टास्क फोर्स गठन।
- आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास में कौशल विकास और रोजगार का ध्यान।

सड़क सुरक्षा और यातायात
- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन।
- नशे में वाहन चलाने वालों और आवारा पशुओं से दुर्घटना नियंत्रण।
- ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार। रात 10 बजे के बाद डीजे/लाउडस्पीकर पर रोक।

आदि कर्मयोगी अभियान
- सभी 17 विभागों का समन्वय, 100% लक्ष्य प्राप्ति।
- 1.33 लाख वालेंटियर्स 6650 गांवों में योजनाओं का लाभ पहुँचा रहे हैं।

पीएम जनमन योजना
- मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास कार्यों में तेजी।
- 2300 बस्तियों में दो लाख से अधिक लोगों को लाभ।

कलेक्टर–डीएफओ कॉन्फ्रेंस

वन प्रबंधन
- वन उपज वैल्यू एडिशन, तेंदूपत्ता संग्राहक हित।
- 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित।
- भुगतान 7–15 दिनों में, सभी बैंक खातों के माध्यम से।
- 15.60 लाख संग्राहकों का डेटा ऑनलाइन।
- लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन।
- छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड का प्रचार।
- औषधीय पौधों की खेती पर विशेष योजना और मॉडल जिलों में विकास।
- राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपज खरीदेगी।
- लक्ष्यः छत्तीसगढ़ देश में वन उपज में प्रथम स्थान।

शेष पेज 3 पर

प्रधानमंत्री धन- धान्य योजना किसानों के लिए शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (30,000 करोड़) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (11,000 करोड़) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। इन योजनाओं से देश के किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। श्री साय ने कहा कि बड़ी ख़ुशी की बात है कि किसान हित में दो नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के तीन जिलों जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को भी शामिल किया गया है।

कैबिनेट के निर्णय

ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण से खरीदी में पूर्ण पारदर्शिता, किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति

15 नवम्बर से, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में किसानों से खरीदेंगे धान

राज्य के किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया को और पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने का अहम निर्णय मुख्यमंत्री श्री साय कैबिनेट ने लिया है। 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू होगी। किसानों को लंबी कतारों और भुगतान में देरी से राहत मिलेगी और खरीदी पूरी तरह ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

खरीदी की तारीख और दर तय
- राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। खरीदी की दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है और प्रत्येक किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी होगी।

पंजीकरण और पारदर्शिता
- धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इससे वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी और डुप्लीकेशन रोका जा सकेगा। पंजीकरण 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और डेटा सार्वजनिक
- इस वर्ष लगभग 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया। 20,000 ग्रामों में सर्वे और मैन्यूअल गिरदावरी का डेटा ग्रामसभा में पढ़कर साझा किया जा रहा है, ताकि किसान स्वयं जानकारी सत्यापित कर सकें।

शेष पेज 3 पर

पिक ऑफ द वीक

सारासोर शिव मंदिर (सूरजपुर)

सूरजपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित सारासोर शिव मंदिर एक प्राचीन धार्मिक व पर्यटन स्थल है। यहाँ महानदी की निर्मल धारा दो पहाड़ियों के बीच बहती है, जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, मां दुर्गा और मां गंगा के मंदिर हैं। प्राकृतिक सुंदरता और झरनों से घिरा यह स्थल श्रद्धालुओं व पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

छत्तीसगढ़ संदर्भ

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला

- **भौगोलिक क्षेत्र**: 4226.83 वर्ग किमी
- **कुल विधानसभा सीट** : 2 (भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़)
- **तहसील की संख्या** : 06 (भरतपुर, मनेंद्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी,केल्हारी, कोटाडोल)
- **विकासखण्ड** : 03 (भरतपुर, मनेंद्रगढ़, खड़गवां)
- **जनपद पंचायत** : 03 (भरतपुर, मनेंद्रगढ़, खड़गवां)
- **नगर पंचायत**: 01 (चिरमिरी)
- **ग्राम पंचायत**: 233

स्त्रोत : https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/

रोजगार की सौगात: 233 तकनीशियनों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र युवाओं का भविष्य सुरक्षित, अवसर सशक्त बने

उच्च शिक्षा विभाग में 700 सहायक प्राध्यापकों और स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी

राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागार में उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर चयनित 233 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं से प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 महीनों में विभिन्न विभागों में लगभग 10 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों का वितरण किया जा चुका है।

युवाओं को रोजगार के अवसर

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आदिम जाति विकास विभाग सहित अन्य विभागों में लगातार नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में 700 सहायक प्राध्यापक और स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी।

विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा

यह अवसर ऐतिहासिक और हर्षजनक बताया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र एक साथ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त तकनीशियनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने कर्तव्यों का शत-प्रतिशत निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करने का आह्वान किया।

नई औद्योगिक नीति से रोजगार का सृजन

राज्य की नई औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अब तक लगभग 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और कई परियोजनाओं में औद्योगिक इकाइयों का निर्माण शुरू हो चुका है।

पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 20 महीनों में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने महाविद्यालयों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी प्रशंसा की। मात्र तीन माह की अवधि में तीन चरणों में पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरा करना अत्यंत सराहनीय है।

CGPSC आयोग में अधीक्षक पदों पर भर्ती, आवेदन 8 नवंबर तक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे। परीक्षा 18 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। पात्रता के लिए समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या विधि में स्नातक आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष (छ.ग. निवासियों को 5 वर्ष की छूट) निर्धारित की गई है।

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन में 542 पदों पर भर्ती

सीमा सड़क संगठन ने 542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 24 नवंबर 2025 तक ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। पदों में व्हीकल मैकेनिक 324, एमएसडब्ल्यू 12, और एमएसडब्ल्यू 205 शामिल हैं। पात्रता के लिए 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र आवश्यक है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चयन फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। भरे हुए आवेदन पत्र कमांडेंट, GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे – 411015 पर भेजने होंगे।

मध्यप्रदेश पुलिस में 500 पदों पर भर्ती, आवेदन 10 नवंबर तक

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने उप निरीक्षक और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन esb.mp.gov.in पर जाकर 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 15 नवंबर तक संशोधन संभव होगा। परीक्षा 9 जनवरी से दो पाली में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। वेतन 36,200 रुपए से 1,14,800 रुपए प्रतिमाह है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वार्डर भर्ती, आवेदन 8 दिसंबर तक

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वार्डर पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए अभ्यर्थी का 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा चिकित्सीय परीक्षण शामिल हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 50 रुपए निर्धारित है। वेतनमान लेवल-2 के अंतर्गत 19,900 रुपए से 63,200 रुपए प्रतिमाह रहेगा।

जॉब अलर्ट

WBSSC
पदः नॉन-टीचिंग स्टाफ
पद संख्याः 8477
अंतिम तिथिः 31 अक्टूबर
wbssc.gov.in

बीएसएससी
पदः स्टेनोग्राफर
पद संख्याः 432
अंतिम तिथिः 03 नवंबर
www.bssc.bihar.gov.in

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी
पदः जूनियर इंजीनियर
पद संख्याः 1732
अंतिम तिथिः 05 नवंबर
dda.gov.in

केंद्रीय चयन पर्षद बिहार
पदः सिपाही
पद संख्याः 4128
अंतिम तिथिः 05 नवंबर
csbc.bihar.gov.in

राजस्थान चयन बोर्ड
पदः आयुष अधिकारी
पद संख्याः 1535
अंतिम तिथिः 8 नवंबर
rssb.rajasthan.gov.in

बीआरओ
पदः व्हीकल मैकेनिक
पद संख्याः 542
अंतिम तिथिः 10 नवंबर
www.bro.gov.in

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पदः स्टेनोग्राफर सहित अन्य
पद संख्याः 23,175
अंतिम तिथिः 25 नवंबर
www.onlinebssc.com

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत तामस्कार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

झगरपुर में मुख्यमंत्री ने किए 63 करोड़ विकास कार्यों का उद्घाटन

लैलूंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज द्वारा आयोजित श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भाग लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और समाज की एकता, संस्कृति व नारी सम्मान पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणाएं कीं, जिसमें कुंजारा–तोलगे–मिलूपारा मार्ग (50 करोड़), सामुदायिक भवन निर्माण (50 लाख), स्टॉप डैम कम कॉजवे (2.5 करोड़), खारुन नदी पुलिया (10 करोड़) और शास. कन्या हाईस्कूल का नवीन भवन शामिल है।

बेमेतरा जिले को 140.96 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

बेमेतरा जिले के लिए 47 विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी, जिनकी कुल लागत 140.96 करोड़ रुपए है। इसमें 27 कार्यों का भूमिपूजन और 20 का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र और बसनी में मिडिल स्कूल की घोषणा की।

शॉर्टहैंड में बेमेतरा की उमा बारले को पहला स्थान

बेमेतरा जिले के ग्राम बासा की रहने वाली उमा बारले ने स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट परीक्षा में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया।

1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ की छात्रवृत्ति ऑनलाइन अंतरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाइन अंतरित की गई। अब तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में राशि अंतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कंवर समाज को दी विकास की बड़ी सौगातें

कटघोरा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कंवर समाज सम्मेलन में समाज भवन निर्माण हेतु 1 करोड़, शहीद सीताराम कंवर व भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमाओं के लिए 35 लाख और हाईटेक बस स्टैंड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है।

(पेज 1 का शेष)

जनहित के कार्यों में लापरवाही..

नगरीय सेवाएं और आवास
- नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के शेष मकान 31 दिसंबर तक पूर्ण।
- "मोर गांव मोर पानी अभियान" के तहत 1.5 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट।
- स्वच्छ भारत मिशन में समय पर भुगतान सुनिश्चित।

कौशल विकास और रोजगार
- राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित।
- हर जिले में स्किल गैप एनालिसिस

और स्थानीय उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण।
- हर तिमाही लोन मेला, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

धान खरीदी पर सख्त निर्देश
- 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, सभी तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश।
- किसी भी अनियमितता के लिए सीधे कलेक्टर होंगे जिम्मेदार।
- सीमावर्ती जिलों में अवैध धान आवक पर विशेष सतर्कता।

ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी
- बच्चे के जन्म के तुरंत प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध।
- लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा में निस्तारण।
- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत 86 सेवाएं ऑनलाइन।
- अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश।

(पेज 1 का शेष)

कैबिनेट के निर्णय...

मॉनिटरिंग और नियंत्रण व्यवस्था
धान की रिसाइक्लिंग रोकने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। जिलास्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे।

बायोमेट्रिक खरीदी
किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को लंबी कतारों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। धान खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

खरीदी केन्द्रों और प्रोत्साहन

राज्य में 2739 खरीदी केन्द्रों में सुगम व्यवस्था की जाएगी। समितियों को शून्य सुखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार पुराने और नए जूट बारदाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीय

बीएसएफ एयर विंग में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की वायु शाखा को 50 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है। इंस्पेक्टर भावना चौधरी और चार पुरुष अधीनस्थ अधिकारियों को हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने फ्लाइंग बैज प्रदान किए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बीएसएफ एयर विंग की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।

मुंबई को मिला दूसरा एयरपोर्ट, देश का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा

'नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट' 1160 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक टर्मिनल और एक रनवे बनाया गया है। यहां सालाना 2 करोड़ लोग यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट से लगभग 2 लाख नौकरियां सृजित होंगी। यह देश का पहला पूर्ण डिजिटल एयरपोर्ट है, जिसका टर्मिनल भवन कमल के आकार का है। एयरपोर्ट में 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल यात्रा के जरिए सभी प्रक्रियाएं कॉन्टैक्टलेस रखी गई हैं। इसके अलावा, एआई से लैस स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और प्री-बुक पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। पूरा एयरपोर्ट 47 मेगावाट सौर ऊर्जा से संचालित होगा।

चंडीगढ़: बुजुर्गों को घर पर ही मिलेगा इलाज

चंडीगढ़ में अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अकेले रहने वाले या बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को घर पर ही इलाज मिलने लगा है। इसके तहत अस्पताल की एक टीम उनके घर जाकर स्वास्थ्य जांच, परामर्श और प्राथमिक उपचार देती है। यदि स्थिति गंभीर हो, तो मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। पहले चरण में 80 वर्ष से ऊपर के 1,874 बुजुर्गों को योजना में शामिल किया गया है।

भारतीय शांति सैनिकों को UNISFA द्वारा सम्मानित

संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को अबिएई क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मेजर जनरल रॉबर्ट याव अफ़राम ने भारतीय बटालियन (INDBATT) की समर्पण भावना और पेशेवर कौशल की सराहना की। भारतीय सैनिकों ने संवेदनशील और विवादित क्षेत्रों में गश्त, नागरिक सुरक्षा और मानवतावादी अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 1950 के बाद से 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 2.9 लाख शांति सैनिक तैनात किए हैं और वर्तमान में 5,000 से अधिक कर्मी 11 सक्रिय मिशनों में सेवा दे रहे हैं।

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस अन्द्रोथ

6 अक्तूबर 2025 को विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस अन्द्रोथ को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अर्नाला-श्रेणी का यह शैलो वॉटर एंटी-सबमरीन युद्ध जहाज़ 77 मीटर लंबा और 1,500 टन विस्थापन वाला है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, कोलकाता द्वारा निर्मित, इसमें 80% से अधिक स्वदेशी प्रणालियाँ शामिल हैं। तीन वॉटरजेट प्रणालियों के कारण जहाज़ कम गहराई वाले जल क्षेत्रों में तेज़ी से संचालन कर सकता है। इसकी मुख्य भूमिकाएँ तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान और तटीय सुरक्षा हैं।

अब फेस, फिंगरप्रिंट से भी कर सकते UPI पेमेंट, सरकार ने मंजूरी दी

UPI यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। UPI ऑपरेट करने वाली एजेंसी NPCI के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिन टेक इवेंट में नए फीचर्स को लॉन्च किया है, जल्द ही UPI एप्स इसे एड करेंगे। इसके बाद UPI पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी।

भारत-ब्रिटेन के बीच 4200 करोड़ रु. की मिसाइल डील

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में ब्रिटेन का स्वागत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ हुई मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है। स्टारमर ने कहा कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ब्रिटेन भारत के साथ सहयोग के लिए संकल्पित है। भारत और ब्रिटेन ने बड़ा रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को हल्की मिसाइलें देगा। इस सौदे की कीमत करीब 4200 करोड़ रुपये है।

तीन भारतीय बंदरगाह बने हरित हाइड्रोजन हब

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दीनदयाल (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार (तमिलनाडु) और परादीप (ओडिशा) बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।

कैंसर के इलाज के लिए देश में परमाणु रिएक्टर लगेगा

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम में विशेष परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। इसमें चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन किया जाएगा। इसका उद्देश्य रेडियोआइसोटोप के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और कैंसर के इलाज को किफायती बनाना है। यह देश का पहला रिएक्टर होगा, जो पूरी तरह कैंसर जैसी बीमारियों के निदान में उपयोग किए जाने वाले आइसोटोप का उत्पादन करेगा।

सोनाली को मिला केंटन मिलर अवॉर्ड

काजीरंगा अभयारण्य की क्षेत्र निदेशक डॉ. सोनाली घोष डब्ल्यूसीपीए-केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अबू धाबी में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस में संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग (डब्ल्यूसीपीए) ने यह अवॉर्ड दिया।

अंतरराष्ट्रीय

भारत ने बनाई दुनिया की सबसे ऊँची सड़क, इतिहास रचा

लद्दाख में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने मिग ला दर्रे (19,400 फीट) पर विश्व की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क बनाकर भारत का रिकॉर्ड तोड़ा। यह लिकारू–मिग ला–फुकचे मार्ग का हिस्सा है और सैन्य व रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सड़क का निर्माण कठिन जलवायु, कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड के बावजूद संपन्न हुआ। नई सड़क सैनिकों की तैनाती, आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक क्षेत्रों तक विकास सुविधा में मदद करेगी। यह लद्दाख में साहसिक पर्यटन और स्थानीय आधारभूत ढाँचे को भी मजबूत करेगी। भारत ने फिर से उच्च हिमालयी इंजीनियरिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया।

ब्रिटेन की प्रसिद्ध उपन्यासकार जिली का 88 वर्ष की उम्र में निधन

राइवल्स और राइडर्स जैसे सनसनीखेज उपन्यासों के लिए मशहूर, बेस्टसेलिंग ब्रिटिश लेखिका जिली कूपर का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष की थीं। कूपर के परिवार ने एक बयान में कहा कि उनका अचानक दुनिया से जाना परिवार के लिए बड़ा सदमा है। लेखिका की एजेंट फेलिसिटी ब्लंट ने कहा, "मेरा सौभाग्य है कि मैंने एक ऐसी महिला के साथ काम किया, जिन्होंने 50 साल पहले अपनी पहली रचना के प्रकाशन के बाद से ही संस्कृति, लेखन और संवाद को परिभाषित किया।"

तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

अमेरिका के तीन वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया। यह खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर्स जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीक के विकास में मदद करेगी।

दोस्त को बचाने के प्रयास में ब्रिटिश-भारतीय छात्रा ग्रेस को मिला जॉर्ज मेडल

दो साल पहले दोस्त को बचाने के प्रयास में 19 वर्ष की उम्र में जान गंवाने वाली ब्रिटिश-भारतीय छात्रा ग्रेस ओ'माली-कुमार को मरणोपरांत ब्रिटेन का प्रतिष्ठित जॉर्ज मेडल प्रदान किया गया। यह ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक वीरता सम्मान है। जून 2023 में नॉटिंघम में ग्रेस और उनका दोस्त बार्नाबी वेबर पर चाकूधारी हमलावर ने हमला किया। ग्रेस ने दोस्त को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गंभीर चोटों के कारण निधन हो गए। ग

पूर्व ब्रिटिश पीएम सुनक बने Microsoft और Anthropic के वरिष्ठ सलाहकार

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नई जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। वे आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक रुझानों पर मार्गदर्शन देंगे। ये सशुल्क भूमिकाएँ हैं, पर सुनक अपनी संपूर्ण आय The Richmond Project चैरिटी को दान करेंगे। ACoBA ने मंजूरी देते हुए शर्त रखी है कि वे किसी सरकारी अधिकारी से लॉबिंग नहीं करेंगे और ब्रिटेन नीति पर सलाह नहीं देंगे। यह कदम पूर्व नेताओं के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है।

फ्रांसः नए प्रधानमंत्री लेकोर्नु ने दिया इस्तीफा

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकोर्नु का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल एक महीने से भी कम समय का रहा। इसके साथ ही, साल 1958 के बाद से लेकोर्नु फ्रांस के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं।

डेनमार्कः 15 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया बचपन चुरा रहे हैं, और बच्चे चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं। प्रतिबंध अगले साल की शुरुआत से लागू हो सकता है। हालांकि, माता-पिता 13 साल से बड़े बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग की अनुमति दे सकेंगे।

भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने सर्जियो गोर

अमेरिका की सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 38 साल के गोर को को सीनेट में हुई वोटिंग के दौरान 51 वोटों से पुष्टि की गई।

वेनेजुएला की मारिया को शांति का नोबेल प्राइज मिला

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है। समिति ने अपनी घोषणा में कहा, "2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक को दिया जाता है।

फ्रांसः लेकोनू को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोनू को फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पिछले महीने पीएम बनाए गए लेकोनू ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। मैक्रों ने लेकोनू को दोबारा सरकार बनाने और साल के अंत तक देश का बजट पेश करने की जिम्मेदारी दी है।

स्वदेशी 'SAKSHAM' लॉन्चः भारतीय सेना ने एंटी-ड्रोन क्षमता मजबूत की

भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर-ड्रोन ग्रिड SAKSHAM लॉन्च किया है। BEL, गाज़ियाबाद के सहयोग से विकसित यह सिस्टम वास्तविक समय में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। SAKSHAM आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करता है और Tactical Battlefield Space में लगभग 3,000 मीटर तक कवरेज देता है।

खेल / कला

बीएफआई कपः अंकुशिता और अरुंधति ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते

पूर्व युवा विश्व चैंपियन अंकुशिता बोरो (60-65 किग्रा) ने राजस्थान की पार्थवी ग्रेवाल को 3-2 से हराकर बीएफआई कप का स्वर्ण पदक जीता। वहीं, अरुंधति चौधरी (65-70 किग्रा) ने स्नेहा को 5-0 से हराकर अपना दबदबा कायम रखा। 57-60 किग्रा वर्ग में परवीन हुड्डा ने प्रिया को 3-2 हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अन्य विजेताओं में निवेदिता कार्की (45-48 किग्रा), भावना शर्मा (48-51 किग्रा), खुशी जाधव (51-54 किग्रा), विनाक्षी धोटा (54-57 किग्रा), मोनिका (70 किग्रा), बबीता बिष्ट (75-80 किग्रा) और रितिका (80+ किग्रा) शामिल हैं।

मिताली-कल्पना के नाम पर रखा जाएगा स्टेडियम का स्टैंड

पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर रवि कल्पना के नाम पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड होंगे। यह फैसला आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने लिया है।

सैयामी आयरनमैन इंडिया की ब्रांड एंबेसडर बनीं

अभिनेत्री और खिलाड़ी सैयामी खेर को 'आयरनमैन इंडिया' का आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया है। उन्होंने एक साल से भी कम समय में दो कठिन 'आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन' पूरा करने के बाद यह सम्मान हासिल किया है। 'घूमर', 'चोक्ड', 'जाट' और '8 ए.एम. मेट्रो' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली सैयामी ने सितंबर 2024 में अपना पहला और जुलाई 2025 में दूसरा 'आयरनमैन 70.3' पूरा किया।

बॉक्सिंगः सर्विसेज का दबदबा, बीएफआई कप के पहले संस्करण में 7 गोल्ड

चेन्नई में आयोजित पहले बीएफआई कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सर्विसेज टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सात गोल्ड मेडल अपने नाम किए और पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोहम्मद हुसामुद्दीन ने सागर जाखड़ (एसएआई) को 5-0 से हराकर खिताब जीता, जबकि एशियाई अंडर-22 चैम्पियन एस. विश्वनाथ ने आशीष (हरियाणा) को मात दी। महिलाओं में महाराष्ट्र की खुशी जाधव (54 किग्रा) को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया। पुरुष वर्ग में सर्विसेज के आशीष (55 किग्रा) को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज चुना गया।

बैडमिंटनः भारत को वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप में पहली बार ब्रॉन्ज

भारत का बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप में शानदार सफर सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से हारने के बाद समाप्त हुआ। कोरिया को हराकर भारत ने प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित किया था। सेमीफाइनल में भारत 35-45, 21-45 से नहीं बल्कि (स्कोरिंग फॉर्मेट के अनुसार) 2-0 या 0-2 से हारता कहा जाना चाहिए, क्योंकि बैडमिंटन में स्कोर "अंक" नहीं बल्कि "गेम" में दिया जाता है।

शेरी सिंह बनीं भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स, मनीला में जीता ताज

भारत ने मिसेज यूनिवर्स 2025 में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। शेरी सिंह ने मनीला (फिलिपींस) में आयोजित प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब जीता। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति, वक्तृत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण एवं मानसिक स्वास्थ्य पर काम ने उन्हें विजेता बनाया। प्रतियोगिता मं प्रथम रनर-अप सेंट पीटर्सबर्ग, द्वितीय रनर-अप फिलिपींस रही। मिसेज यूनिवर्स विवाहित महिलाओं की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और सामाजिक योगदान को भी महत्व देती है। इस जीत से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और बढ़ी।

टी20 महिला क्रिकेटः छत्तीसगढ़ ने ओडिशा को 47 रनों से हराया

बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने ओडिशा को 47 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्वालियर में खेले गए मैच में ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए छत्तीसगढ़ ने 20 ओवर में 114 रन बनाए, जिसमें कप्तान कृति गुप्ता ने 25, नेहा बडवइक ने 23 और ऐश्वर्या सिंह ने 19 रन बनाए। जवाब में ओडिशा की टीम 67 रन ही बना सकी। छत्तीसगढ़ की महक नरवसे ने 3 विकेट लिए और शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।

हालैंड 50 इंटरनेशनल गोल करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी

नार्वे के स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड ने इजराइल के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर में हैट्रिक कर 51 अंतरराष्ट्रीय गोल पूरे किए और सबसे तेज 50 गोल का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 46 मैचों में हासिल की, जबकि हैरी केन को 50 गोल के लिए 71 मैच लगे थे। शुरुआती पेनल्टी चूक जाने के बावजूद, हालैंड ने तीन गोल (27वें, 63वें और 72वें) दागे और नार्वे को 5-0 से जीत दिलाई।

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: 'लापता लेडीज' ने जीते 12 अवॉर्ड

अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बॉलीवुड ने यादगार रात देखी। 'लापता लेडीज' ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर सहित 12 अवॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला, जबकि आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस रहीं। स्टेज पर शाहरुख खान और काजोल ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की यादें ताजा कर महफिल लूट ली।

डीपे ने रचा इतिहासः नीदरलैंड्स के लिए सबसे ज़्यादा असिस्ट-गोल का रिकॉर्ड

नीदरलैंड्स के फॉरवर्ड मेम्फिस डीपे ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर में फिनलैंड के ख़िलाफ़ 4-0 की जीत में इतिहास रच दिया। 31 वर्षीय डीपे ने दो असिस्ट किए। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 35 असिस्ट हो चुके हैं और उन्होंने वेस्ली स्नाइडर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डीपे ने 38वें मिनट में पेनल्टी पर गोल दागकर अपना 54वां अंतरराष्ट्रीय गोल पूरा किया। उनके नाम नीदरलैंड्स के लिए सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट का रिकॉर्ड है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ०ग०)

दूरभाष नं० फैक्स नं0 07752-225545, E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक/DA-JGUA/वन अधि./नियुक्ति/2025-26/2496 बिलासपुर, दिनांक 07/10/2025

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर जिला स्तर पर तथा अनुभाग कोटा, जिला बिलासपुर स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) नियुक्ति किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पद का नाम	मानदेय (मासिक)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला परियोजना समन्वयक(समन्वयक वन अधिकार अधिनियम)	30000/-	01	01 वर्ष	जिला बिलासपुर स्तर	जिले में एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना
2	एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम)	20000/-	01	01 वर्ष	अनुभाग कोटा स्तर	अनुविभाग कोटा स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

पद की शर्ते :-

01- यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गयी अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।

02- यह पद पूर्णतः अहस्तांतरणीय (Non Transferable) होंगे।

03 धरती आबा - जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 1 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्ते :-

01- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें एम एस आफिस इत्यादि सम्मिलित हो।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 03 वर्ष एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 02 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, जैसे- जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम का Weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

02- अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

03- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

04- आवेदन की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि-

1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वंय सत्यापित कर दिनांक 31.10.2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत/जमा करेंगे।
2. आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
3. साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निधारित तिथि से दूरभाष / ईमेल से अवगत कराया जायेगा।
4. साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा. साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।
5. 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल/चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों को 02 सप्ताह में कार्य स्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
6. पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य जिला स्तरीय समन्वयक
(समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) जिला स्तर

01- वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यों यथा-एफआरए एमपीआर क्यूपीआर एवं समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एव विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

2- वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ग्राम सभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्चात कार्य जैसे- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केंद्र एवं राज्य सरकारें के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से सामन्जस्य स्थापित करना।

3- वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएमएलसी) के गठन / पुनर्गठन एवं समिति द्वारा समय समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

4- वन अधिकारों की मान्यता दस्तावेजीकरण दस्तावेजों से संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण, आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

5- विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

6- मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों विभागों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।

7- राज्य स्तर एवं अनुविभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर बनाना।

8- वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।

9- विभाग द्वारा समय समय पर किये जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना

10- अधिनियम के व्यवहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे- जागरूकता शिविर कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।

11- जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं वन अधिकार दावा प्रबंधन प्रकिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।

12- एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामन्जस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

13- विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

14- जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को रिर्पोटिंग करना।

15- वन अधिकार अधिनियम के आनुषांगिक कार्य ही करना।

16- वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को राज्य स्तर से मार्गदर्शन प्रापत कर कार्यवाही करना।

क्रमशः

17 - अनुभाग सतर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) (उप खण्ड स्तर)

01- वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुविभाग/उपखण्ड में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर क्यूपीआर एवं समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एव विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

2- वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी सामितियाँ ग्राम सभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3 (2) में उल्लेखित्त अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्चात कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केंद्र एवं राज्य सरकारें के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य /मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से सामन्जस्य स्थापित करना।

3- वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रकिया के प्रभावी कियान्ययन हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति (एसडीएलसी) के गठन/पुनर्गठन एवं समिति द्वारा समय समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

4- वन अधिकारों की मान्यता दस्तावेजीकरण दस्तावेजों से संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण, आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

5- विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

6- मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।

7- जिला एवं ग्राम सभा तथा मैदानी स्तर पर कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर कियान्वयन को बेहतर बनाना।

8- वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड / अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना

9- विभाग द्वारा समय समय पर किये जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना

10- अधिनियम के व्यवहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।

11- जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रकिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।

12- जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामन्जस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

13- विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

14- पदेन सचिव उपखण्ड स्तरीय समिति को रिर्पोटिंग करना।

15- वन अधिकार अधिनियम के आनुषांगिक कार्य ही करना।

16- वन अधिकार समितियों के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों के एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं के निराकरण में सहयोग करना।

जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधि०) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन कार्यक्रम विवरण

क्र	विज्ञापन कार्यक्रम विवरण	तिथि	रिमार्क
1	विज्ञापन जारी करने की तिथि	08.10.2025	
2	आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि	31.10.2025	
3	साक्षात्कार हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन	10.11.2025	
4	साक्षात्कार की अवधि	17.11.2025	
5	अंतिम मेरिट सूची तैयार कर चयन सूची जारी करना	20.11.2025	

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बिलासपुर

आवेदन पंजीयन क्रमांक----------

(कार्यालय उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025-26

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. आवेदित पद का नाम :----------
2. आवेदक का नाम :----------
3. पिता का नाम :----------
4. जन्म तिथि :----------
5. आवेदक की श्रेणी :----------
   (सामान्य / एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)
6. मूल निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :----------
7. निवास का पता पिन कोड / ई-मेल सहितः----------
   फोन / मोबाईल नंबर :----------
8. शैक्षणिक योग्यता :----------
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

9. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव की कुल अवधि (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्यभार का प्रकार (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी सही है। दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

संलग्न सहपत्र-

हस्ताक्षर----------
नाम----------
दिनांक----------
स्थान----------

आर.ओ.163/जी-252604041/3

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

Website-www sciencecollegebilaspur.ac.in

E-mail-pr.sc.college@gmail.com Ph.No:-07752-246430

दिनांक 07.10.2025

// परियोजना शोधार्थी एवं अन्य हेतु विज्ञापन //

शास. ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर के निम्नलिखित विभागों में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा स्वीकृत अनुदान मद से 02 वर्ष के लिए परियोजना शोधार्थियों की आवश्यकता है-

	विभाग		**आवश्यक परियोजना शोधार्थी**
1.	रसायनशास्त्र	-	01
2.	जैव प्रौद्योगिकी	-	01
3.	संगणक विज्ञान	-	01

आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं वांछित दस्तावेजो के साथ दिनांक 24.10.2025 को सायं 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

नोट - विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट http: www sciencecollege bilaspur.ac.in पर अपलोड किया गया है जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

शासकीय ई.राघवेंन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
बिलासपुर छ.ग.

आर.ओ.164/जी-252604047/3

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/डी.एम.एफ./2025/10532 कोरबा, दिनाँक 08-10-2025

//जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

जिले के संचालित 102 महतारी एम्बुलेंस मे Emergency Medical Technician (EMT) की कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित पद की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

पदनाम	रिक्तियां कुल	वर्ग															
		अजजा				अजा				अपिव				अनारक्षित			
		पुरूष	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	पुरूष	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	पुरूष	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	पुरूष	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Emergency Medical Technician (EMT)	14	3	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	1 (महिला)

टीपः- उक्त 14 पद मे से 07 पदों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं 07 पदों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला की भर्ती की जावेगी।

शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यताः-

1. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला :-

(1) उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

(3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए।

2. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष :-

(1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं

(3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।

नियम एवं शर्तेः-

01. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध मे अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नही होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया मे संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

02. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्षम जांच की जावेगी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरूष की पृथक - पृथक पात्र-अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात् दस्तावेज प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किये जायेंगे।

03. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे।

04. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति मे सामान्य मेरिट सूची मे से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

07. दिनांक 01.07.2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

08. नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष तक के लिए होगी। एक वर्ष समाप्ति पश्चात् इसमे किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

09. उपरोक्त नियुक्ति में मासिक एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नही दिया जावेगा।

10. नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिये कभी भी समाप्त की जा सकती है।

11. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नही होगी।

12. आयु संबंधी छूट के लिए तद्संबंधी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/ निगम/मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ नियुक्ति/अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 03 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।

15. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.02. 2023 मे उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। कोविड़ बोनस अंक हेतु जारी प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

16. रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह एकमुश्त)	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	Emergency Medical Technician (EMT)	12346.00	बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण	85 प्रतिशत
			ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष/महिला के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

टीपः- कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति मे संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाना है। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव, दोनो होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।

17. Emergency Medical Technician (EMT) प्रशिक्षण/कोर्स प्राप्त अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

18. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
19. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार संगत दिव्यांगता/निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगें। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ), दिव्यांग/निःशक्तजन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी छूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन मे चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. विज्ञापित पदों हेतु वांछित दस्तावेज संलग्न नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नही किया जावेगा।
22. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पर काई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध में आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नही दी जावेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
23. आवेदक द्वारा आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम (Name of Post) जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग (Category) स्पष्ट रुप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।
24. विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नही होने की दशा मे चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
25. अभ्यार्थी के पास स्वयं का मोबाईल होना आवश्यक है। अभ्यार्थी की ड्यूटी दिन अथवा रात्रि किसी भी समय लगाई जा सकती है।
26. प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य मे उक्त पदों के आलावा अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
27. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
29. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
30. आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा, पि.न. 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 24/10/2025 शायं 5:00 बजे तक पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
31. उक्त विज्ञापित पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा-निर्देश/सूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in मे किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों, जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहेंगे। कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नही दी जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

// आवेदन-प्रपत्र //

आवेदित पद का नाम----------

नवीनतम रंगीन फोटो
आवेदक का हस्ताक्षर

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :----------
   (अंग्रेजी में) :----------
2. पुरुष/महिला :----------
3. पिता/पति का नाम :----------
4. माता का नाम :----------
5. जन्म तिथि (अंकों में) :----------
   शब्दों में :----------
6. दिनांक 01.07.2025 की स्थिति में आयु :-वर्ष-----माह-----दिन---
7. छ०ग० का मूल निवास हाँ/नहीं :----------
8. जिला का नाम :----------
9. वर्तमान पता :----------
10. स्थाई पता :----------
11. मोबाईल नम्बर :----------
12. ई.मेल आई.डी. :----------
13. वर्ग (अना./अपिव/अजा/अजजा) :----------
14. दिव्यांग (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :----------
15. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नही) :----------
16. विवाहित/अविवाहित-------यदि विवाहित है तो जीवित बच्चों की संख्याः---------
17. शैक्षणिक योग्यता-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	**विषय**	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

18. तकनीकी योग्यता-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

19. निर्धारित कौंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :----------
20. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :----------
21. संलग्न दस्तावेज की सूचीः-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

1----------2----------3----------4----------5----------

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद हेतु मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त की जा सकती है एवं मेरे विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान-------- नाम----------
दिनांक------ पता----------

कार्यालय का नाम एवं पता

क्रमांक.---------- दिनांक------

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 01 वर्ष मे 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक दिये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु----- पिता/पति का नाम-----इस संस्था-----(संस्था का नाम) के-----(वायरोलाजी लैब कोविड अस्पताल/अन्य स्थल/विभाग का नाम)में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान---------के पद पर (पद का नाम) दिनांक-----से दिनांक------ तक अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी के रूप के रूप में कार्यरत है/ थे। उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय/ संस्था मे एक वर्ष मे छः माह (कुल.....वर्ष.....माह..... दिन) तक सेवा दिया गया है/था।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03 फरवरी 2023 के परिपालन मे श्री/श्रीमती/कुमारी-----को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के विज्ञापन क्रमांक-----दिनांक.....मे विज्ञापित संविदा पद-----(पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक की पात्रता हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

नियुक्तिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)

आर.ओ.165/जी-252604123/3

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 04/2025/परीक्षा/दिनांक 07/10/2025

::विज्ञापन::

अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) (महिला एवं बाल विकास विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/10/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक
संभावित परीक्षा की तिथि 18/01/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/10/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **महिला एवं बाल विकास विभाग** के अंतर्गत **अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)**	**23**	**6**	**18**	**8**	**6**	**1**	**5**	**2**	**-**	**55**	(स्तर-9)

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण टीपः-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक (बाल देखरेख संस्थाएं) के पद को शामिल नहीं किया गया है।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो', ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
5. रिक्तियों में आरक्षणः-

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-09 (9300-34800+ग्रेड पे 4300)
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) समाज कार्य (एम.एस.डब्ल्यू)/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर/विधि में स्नातक उपाधि

(3) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) निर्धारित आयु सीमाः-
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो । स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है । अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा ।

(c) छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(d) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-
साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप

क्रमशः

कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र ।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट- दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु संभागीय मुख्यालय सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर परीक्षा केन्द्र होंगे।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्कता से गस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलबध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा । श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित

क्रमशः

वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा ।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा ।

(19) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक

कुल	-	330 अंक

(2) परीक्षाः-

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या	150	3:00 घंटे	अंक 300
भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान		-	50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान		-	100 प्रश्न (200 अंक)

		कुल	- 150 प्रश्न (300 अंक)

(ii) प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

टीप :- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः -

$$MO = M \times R - 1/3\ M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

(7) साक्षात्कारः- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुना होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) चयन सूचीः- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

परिशिष्ट-दो
''पाठ्यक्रम''

भाग.1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

भाग.2 बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान

1. बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून :-
1.1 भारत का संविधान
1.2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021
1.3 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022
1.4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020
1.5 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017
1.6 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
1.7 छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023
1.8 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
1.9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
1.10 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
1.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
1.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
1.13 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
1.14 स्वपाक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1.15 छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009

क्रमशः

1.16 दत्तक ग्रहण विनियम 2022
2. बाल कल्याण एवं विकास :-
2.1 मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0
2.2 कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर
2.3 कुपोषण का प्रबंधन - कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल
2.4 शरीर के विकास के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता- संतुलित आहार
2.5 बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार
2.6 दिव्यांग बालकों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम
2.7 बालकों की शिक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम
3. बाल संरक्षण एवं देखभाल :-
3.1 मिशन वात्सल्य योजना
3.2 पीएम केयर्स योजना
3.3 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना
3.4 छ.ग. बाल कोष
3.5 बाल सक्षम नीति
3.6 बाल संरक्षण नीति
3.7 चाईल्ड हेल्पलाईन
3.8 स्कीम फॉर केयर एवं सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एवं 6 आफ पॉक्सो एक्ट
3.9 बाल अधिकार
3.10 बाल अधिकार संरक्षण आयोग
3.11 बाल संरक्षण/देखभाल /विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिये जाने वाले विभिन्न पुरूस्कार
3.12 बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे - हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग,बाल श्रम
3.13 बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान
3.14 संस्थागत देखरेख
3.15 दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, स्पान्सरशीप एवं आफ्टर केयर कार्यक्रम
3.16 परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यकम
3.17 बाल संरक्षण संबंधी चुनौतिया
3.18 डायवर्जन एवं रिस्टोरेटीव न्याय के सिद्धांत
3.19 बाल व मानव व्यापार की प्रभावी रोकथाम
4. बाल मनोविज्ञान :-
4.1 विकास के चरण
4.2 बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत
4.3 काउंसलिंग
4.4 आकलन एवं हस्तक्षेप
4.5 अनुसंधान विधियां
4.6 एप्लीकेशन - वयस्क - बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, बाल कल्याण एवं संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप
4.7 थेरेपी- काग्निटीव बिहेविरियल थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी
5. बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं :-
5.1 चाईल्ड हेल्पलाईन (1098)
5.2 महिला हेल्पलाईन (181)
5.3 पुलिस हेल्पलाईन ERSS-112
5.4 अन्य आपातकालीन सेवाएं

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Part-2 General Knowledge Related to Children

1. Constitutional Provisions and Laws Related to Children:-

1.1 Constitution of India
1.2 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 as amended 2021
1.3 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 as amended 2022
1.4 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Rules 2020
1.5 Mental Healthcare Act, 2017
1.6 Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
1.7 Chhattisgarh Rights of Persons with Disabilities Rules 2023
1.8 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
1.9 Prohibition of Child Marriage Act, 2006
1.10 Commissions for protection of Child Rights Act, 2005
1.11 Protection of Human Rights Act
1.12 Right to Information Act, 2005
1.13 Legal Services Authorities Act
1.14 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
1.15 Chhattisgarh Commission for Protection of Child Rights Rules, 2009
1.16 Adoption Regulations 2022

2. Child Welfare and Development:-

2.1 Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
2.2 Malnutrition, Anaemia, Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate.
2.3 Management of Malnutrition - Identification of Malnutrition, Care of Malnourished Children
2.4 Need for Nutritional Elements for Body Development - Balanced Diet
2.5 Common Diseases and Treatment of Children
2.6 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Disabled Children
2.7 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Education of Children

3. Child Protection and Care:-

3.1 Mission Vatsalya Scheme
3.2 PM Cares Scheme
3.3 Mukhyamantri Bal Uday yojana
3.4 CG Bal Kosh
3.5 Bal Saksham Policy
3.6 Child Protection Policy
3.7 Child Helpline
3.8 Scheme for Care and Support to Victim under Section 4 and 6 of POCSO Act
3.9 Child Rights
3.10 Commission for Protection of Child Rights
3.11 Various awards given for doing remarkable work in the field of child protection/care/development
3.12 Important issues related to child protection- violence, exploitation, child marriage, trafficking, child labour
3.13 Child Marriage Free Chhattisgarh Campaign
3.14 Institutional care
3.15 Adoption, foster care, sponsorship and after care programmes
3.16 Family and community based programmes
3.17 Challenges related to child protection
3.18 Principles of diversion and restorative justice
3.19 Effective prevention of child and human trafficking

4. Child Psychology:-

4.1 Stages of development
4.2 Various concepts and theories related to child psychology
4.3 Counselling
4.4 Assessment and intervention
4.5 Research methods
4.6 Applications-adult-child relationship, education and learning, child welfare and protection, mental health and related interventions
4.7 Therapy-cognitive behavioural therapy, play therapy, group therapy, family Therapy

5. Emergency services in the best interest of children:-
5.1 Child Helpline (1098)
5.2 Women Helpline (181)
5.3 Police Helpline ERSS-112
5.4 Other Emergency Services

परिशिष्ट-तीन
''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैः-(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त

क्रमशः

पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मूल पहचान पत्र जैसे –मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

*****

कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O)-07752-224200, PHONE (O)-07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.ac.in email-deancims@gmail.com

क्र.15489 स्था/प्रशा/सिम्स/2025 बिलासपुर, दिनांक 13/10/2025

Walk-In-Interview

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर अंतर्गत सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर में निम्नानुसार रिक्त चिकित्सकीय पदों की पूर्ति संविदा माध्यम से किये जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स, बिलासपुर में अक्टूबर माह में दिनांक 24.10.2025 को Walk-In-Interview आयोजित किया जाएगा।
रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

Medical Officer OST	Medical Officer ART
Medical Officer-01 (UR)	Medical Officer-01 (UR)
Salary Rs. 72,000/-	Salary Rs. 72,000/-

शैक्षणिक अर्हता एवं पद के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाईट www.cims bilaspur.ac.in पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर (छ.ग.)

आर.ओ.166/जी-252604172/3

सतत प्रगति पथ पर

छत्तीसगढ़

महिलाओं का सम्मान

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

₹ 70 लाख
माताओं-बहनों को
महतारी वंदन योजना का लाभ

36 लाख
महिलाओं को उज्जवला
गैस कनेक्शन

आत्मनिर्भरता और
स्वरोजगार के लिए सभी
पंचायत में
'महतारी सदन'
का निर्माण

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

सतत प्रगति पथ पर

छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

बस्तर में बदलाव की बयार

- नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार
- 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकास की नई उड़ान
- जांगला (बीजापुर) देश का पहला हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत की सौगात
- नगरनार स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित
- रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना से विकास को नई रफ्तार
- 50,000 करोड़ की बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना बिजली, सिंचाई, रोजगार और पेयजल का मिलेगा लाभ

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल ढरियो